"बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एवं संबद्ध जिला क्रिकेट संघों हेतु खिलाड़ी पंजीकरण, पात्रता एवं अंतर-जिला स्थानांतरण नियमावली, 2026"

1. प्रस्तावना

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की कमिटी ऑफ मैनेजमेंट द्वारा अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में तथा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एवं जिला क्रिकेट में पारदर्शिता, निष्पक्षता, खेल की शुचिता एवं वास्तविक स्थानीय खिलाड़ियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन निम्नलिखित **"बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एवं संबद्ध जिला क्रिकेट संघों हेतु खिलाड़ी पंजीकरण मानदंड, पात्रता नियमावली एवं अंतर-जिला स्थानांतरण नियमावली, 2026"** अधिसूचित करता है। यह नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध सभी जिला क्रिकेट संघों एवं पंजीकृत खिलाड़ियों पर बाध्यकारी होगी।

2. संक्षिप्त शीर्षक, प्रवर्तन एवं लागू क्षेत्र

इस नियमावली को "बिहार क्रिकेट एसोसिएशन खिलाड़ी पंजीकरण मानदंड एवं पात्रता नियमावली" कहा जाएगा। यह नियमावली बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध सभी जिला क्रिकेट संघों, खिलाड़ियों एवं क्रिकेट प्रतियोगिताओं पर लागू होगी।

क. इस नियमावली को "बिहार क्रिकेट एसोसिएशन खिलाड़ी पंजीकरण, पात्रता एवं अंतर-जिला स्थानांतरण नियमावली, 2026" कहा जाएगा।

ख. यह नियमावली अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

ग. यह नियमावली बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध सभी जिला क्रिकेट संघों, क्लबों, खिलाड़ियों तथा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अथवा मान्यता प्राप्त सभी प्रतियोगिताओं पर लागू होगी।

घ. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा सत्र 2025-26 से खिलाड़ियों की पात्रता, दस्तावेजों एवं आयु सत्यापन हेतु अधिकृत एजेंसी के माध्यम से जांच की व्यवस्था लागू की गई है। BCCI द्वारा किसी खिलाड़ी को Online Database Management System (ODMS) पोर्टल के माध्यम से अंतिम स्वीकृति प्रदान किए जाने से पूर्व आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है। जबतक BCCI किसी भी खेलाड़ी के खेलने की पात्रता नहीं देती है, तो खेलाड़ी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से नहीं खेल सकता है। अतः प्रथमदृष्टया दस्तावेजों की जाँच करते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी केवल उन खिलाड़ियों का विवरण BCCI के ODMS पोर्टल पर अपलोड करने तक सीमित होगी।

Rajesh Kumar
Dist. Representative

CoM/ACU

CRI. OPS

3. परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्राय न हो:

क) "एसोसिएशन" से अभिप्राय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) है।

ख) "जिला संघ" से अभिप्राय BCA से संबद्ध जिला क्रिकेट संघ है।

ग) "स्थानीय खिलाड़ी" से अभिप्राय ऐसा खिलाड़ी है जो इस नियमावली में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो।

घ) "एनओसी (NOC)" से अभिप्राय संबंधित जिला क्रिकेट संघ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र है।

ङ) "Online Database Management System" (ODMS) से अभिप्राय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा खिलाड़ियों के पंजीकरण एवं पात्रता संबंधी ODMS तथा उसके अंतर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, SOP एवं परिपत्र हैं।

4. पूर्व से पंजीकृत खिलाड़ी

1. सत्र 2025–26 तक BCA पोर्टल पर पंजीकृत सभी खिलाड़ी वर्तमान में पंजीकृत जिला क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। बशर्ते कि उनके विरुद्ध किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित ऐसा आदेश प्रभावी न हो, जिसके कारण उनका पंजीकरण निलंबित, निरस्त अथवा प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया।
2. यदि कोई खिलाड़ी अपने वर्तमान जिला संघ से विधिवत NOC प्राप्त करता है, वह केवल उस जिले में स्थानांतरण का पात्र होगा, जिसके लिए वह इस नियमावली के अध्याय 6 एवं 7 में वर्णित स्थानीय खिलाड़ी की पात्रता एवं दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो।

5. जिला खिलाड़ी पंजीकरण नीति

क. सत्र 2026–27 से प्रत्येक जिला क्रिकेट संघ केवल अपने क्षेत्राधिकार के वास्तविक स्थानीय खिलाड़ियों का ही पंजीकरण करेगे।

ख. कोई भी जिला क्रिकेट संघ इस नियमावली के विपरीत किसी खिलाड़ी का पंजीकरण अथवा अनुशंसा नहीं करेगा।

6. स्थानीय खिलाड़ी की पात्रता

किसी खिलाड़ी को स्थानीय खिलाड़ी तभी माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूर्ण करता हो:

(क) उसका जन्म संबंधित जिले में हुआ हो; या

(ख) वह संबंधित जिले में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो अथवा की हो; या

Rajesh Kumar
Distt. Representative

GM/BCA

CRI. OPS

(ग) वह संबंधित जिले में कार्यरत हो; या

(घ) वह संबंधित जिले का स्थायी निवासी हो।

स्थानीय खिलाड़ी का दावा चारों में से किसी एक आधार पर किया जा सकता है, लेकिन जिस आधार पर दावा किया गया है, उसी आधार के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक बार जिस आधार पर पंजीकरण हो जाएगा, उसी सत्र में उसे बदला नहीं जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: यदि किसी खिलाड़ी द्वारा एक से अधिक आधारों पर स्थानीय खिलाड़ी होने का दावा किया जाता है, तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

7. स्थानीय खिलाड़ी सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज

क) जन्म प्रमाण पत्र

किसी भी खिलाड़ी का डिजिटल (QR Code युक्त) जन्म प्रमाण-पत्र संबंधित क्रिकेट सत्र प्रारंभ होने की तिथि से कम-से-कम दो वर्ष पूर्व जारी होना चाहिए। यदि डिजिटल जन्म प्रमाण-पत्र उक्त अवधि के बाद जारी किया गया हो, तो उसमें पूर्व में जारी मैनुअल जन्म प्रमाण-पत्र का उल्लेख होना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा उल्लेख उपलब्ध नहीं है, तो पूर्व में जारी मैनुअल जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापित, डिजिटल जन्म प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ख) शिक्षा

- पिछले तीन शैक्षणिक सत्र की मार्कशीट।
- प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित बोनाफाइड प्रमाणपत्र। यदि बोनाफाइड प्रमाण-पत्र में प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर, ई-मेल पता एवं स्कूल का पूर्ण पता अंकित नहीं होगा, तो ऐसा प्रमाण-पत्र अमान्य माना जाएगा।

ग) रोजगार

- नियोक्ता का प्रमाणपत्र।
- पूर्ववर्ती 12 माह की वेतन पर्चियाँ।
- वेतन जमा दर्शाने वाला बैंक विवरण।
- रोजगार संबंधित जिले में होना अनिवार्य होगा।

घ) निवास

- संबंधित क्रिकेट सत्र प्रारंभ होने की तिथि से कम-से-कम दो वर्ष पूर्व जारी आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट।

Rajesh Kumar
Dist. Representative

GM|ACU

CEO

- खिलाड़ी तथा उसके माता एवं पिता के वर्तमान एवं पूर्व निवास से संबंधित दस्तावेज अथवा अन्य ऐसे अभिलेख, जिनसे संबंधित जिले में कम-से-कम दो वर्ष के निवास का प्रमाण स्थापित हो सके
- माता एवं पिता दोनों के मतदाता पहचान पत्र।

  ✓ यदि किसी खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में परस्पर विरोधाभास (Contradiction) पाया जाता है अथवा विभिन्न सरकारी अभिलेखों में जन्मतिथि, जन्मस्थान, नाम, माता-पिता का नाम अथवा अन्य महत्वपूर्ण विवरण भिन्न पाए जाते हैं, तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे खिलाड़ी से अतिरिक्त दस्तावेज, स्पष्टीकरण अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में आवेदन अस्वीकृत अथवा पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

  ✓ BCCI अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अतिरिक्त दस्तावेज भी आवश्यक होने पर प्रस्तुत करने होंगे।

  ✓ किसी भी दस्तावेज में नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम अथवा अन्य विवरण में अंतर पाए जाने पर संबंधित खिलाड़ी को सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी स्पष्टीकरण अथवा सुधारित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

स्पष्टीकरण: केवल किसी जिले में अस्थायी रूप से निवास करने, अल्पकालिक प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा किसी क्रिकेट अकादमी/कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षण लेने मात्र से कोई खिलाड़ी उस जिले का स्थानीय खिलाड़ी नहीं माना जाएगा

8. अंतर-जिला स्थानांतरण

1. कोई भी अंतर-जिला स्थानांतरण तभी प्रभावी माना जाएगा जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के माननीय सचिव अथवा सचिव के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित स्वीकृति जारी कर दी जाए।
2. वर्तमान जिला संघ से NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. यदि संबंधित जिला क्रिकेट संघ आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर NOC जारी अथवा अस्वीकार नहीं करता है, तो खिलाड़ी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिस पर एसोसिएशन उचित निर्णय लेगा।
4. कोई भी खिलाड़ी एक ही क्रिकेट सत्र में केवल एक बार अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेगा।

Rajesh Kumar
Dist. Representative

GM/Adm

CH. OPS

5. किसी खिलाड़ी का अंतर-जिला स्थानांतरण स्वीकृत होने के पश्चात वह उसी क्रिकेट सत्र में पूर्व जिला क्रिकेट संघ की किसी भी प्रतियोगिता अथवा चयन प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।

9. सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री)

सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को उस जिले का स्थानीय खिलाड़ी माना जाएगा जहाँ संबंधित कर्मचारी की विधिवत पदस्थापना हो। अनिवार्य दस्तावेज: संबंधित विभाग द्वारा जारी पदस्थापन आदेश।

10. आयु पात्रता

आयु पात्रता प्रत्येक क्रिकेट सत्र हेतु भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा ODMS के अंतर्गत निर्धारित आयु मानदंडों के अनुसार होगी।

11. जिला क्रिकेट संघ द्वारा प्रत्येक प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ी के पंजीकरण की सीमा

प्रत्येक प्रतियोगिता हेतु प्रत्येक जिला क्रिकेट संघ BCA द्वारा समय-समय पर निर्धारित संख्या के आलोक में खिलाड़ियों का ही पंजीकरण करेगा।

12. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में नवीन पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र।
2. गत तीन वर्षो का शैक्षणिक प्रमाणपत्र।
3. आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)/पासपोर्ट (उपलब्धता के अनुसार)।
4. पैन कार्ड (जहाँ लागू हो)।
5. बैंक खाते का विवरण।
6. माता एवं पिता के पहचान एवं पते संबंधी वैध दस्तावेज।
7. संबंधित जिला क्रिकेट संघ से संबद्ध उस क्लब (Full Member/Associate Member) का विवरण, जिसके माध्यम से खिलाड़ी पंजीकरण करा रहा है।
8. उपरोक्त सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज के अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाए जाने पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को पंजीकरण आवेदन अस्वीकार करने अथवा पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

Rajesh Kumar
Dist. Representative

GM ADM

CRI. OPS

- ✓ सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित (Self-Attested) होंगे तथा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अथवा संबंधित जिला क्रिकेट संघ द्वारा मांगे जाने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।
- ✓ प्रत्येक खिलाड़ी को निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं विवरण सत्य, पूर्ण एवं सही हैं तथा किसी तथ्य को जानबूझकर नहीं छिपाया गया है। यदि खिलाड़ी द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को समर्पित दस्तावेज एवं विवरण असत्य पाया जाता है तो BCA के सचिव इस नियम के अनुसार दंडात्मक आदेश पारित कर सकते है।

13. अंतरिम पंजीकरण (Provisional Registration)

यदि किसी खिलाड़ी के दस्तावेजों का सत्यापन लंबित हो, तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आवश्यकता अनुसार उसका अंतरिम पंजीकरण कर सकेगा। ऐसा पंजीकरण अंतिम सत्यापन एवं अनुमोदन के अधीन होगा तथा सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर बिना किसी पूर्वाग्रह के निरस्त किया जा सकेगा।

14. द्वैध पंजीकरण

कोई भी खिलाड़ी एक ही क्रिकेट सत्र में एक से अधिक जिला क्रिकेट संघ में पंजीकृत नहीं होगा तथा केवल एक ही जिला संघ का प्रतिनिधित्व करेगा। किसी अन्य जिला क्रिकेट संघ में सक्रिय पंजीकरण पाए जाने पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा।

15. मिथ्या दस्तावेज एवं दंड

1. यदि कोई खिलाड़ी जाली, कूटरचित अथवा मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करता है, असत्य जानकारी देता है अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाता है, तो सचिव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को उसका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा आदेश द्वारा उसे दो (02) वर्ष की अवधि के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एवं उसके सभी संबद्ध जिला क्रिकेट संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा।
2. यदि किसी प्रकरण में संबंधित जिला क्रिकेट संघ की लापरवाही, मिलीभगत अथवा नियमों के उल्लंघन का प्रथमदृष्ट्या प्रमाण प्राप्त होता है, तो सचिव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन संबंधित जिला क्रिकेट संघ को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर सचिव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन संविधान एवं लागू नियमों के अनुसार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे।

Rajesh Kumar
Dist. Representative

GM/Adm

3. दंडात्मक आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खिलाड़ी अथवा जिला क्रिकेट संघ को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर प्रदान किया जाएगा। सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत सचिव, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आदेश पारित करेंगे।
4. आवश्यकता होने पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे मामलों की सूचना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), संबंधित सरकारी विभाग अथवा अन्य सक्षम पदाधिकारी को भी भेज सकेगा।
5. स्थानीय खिलाड़ी होने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता सिद्ध करने का भार (Burden of Proof) संबंधित खिलाड़ी एवं अनुशंसा करने वाले जिला क्रिकेट संघ पर होगा।
6. चूँकि किसी भी खिलाड़ी का पंजीकरण प्रारंभिक स्तर पर संबंधित क्लब एवं जिला क्रिकेट संघ के माध्यम से किया जाता है तथा वह खिलाड़ी संबंधित जिला क्रिकेट संघ के चयन हेतु उपलब्ध खिलाड़ियों के समूह (Player Pool) का हिस्सा बनता है, इसलिए खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों एवं विवरणों की सत्यता, वैधता एवं विधिसम्मत सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित क्लब की होगी। क्लब खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्राथमिक जांच के लिए उत्तरदायी होगा तथा मिथ्या अनुशंसा की स्थिति में खिलाड़ी, सम्बंधित क्लब, सम्बंधित जिला क्रिकेट संघ या तीनो के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

16. सत्यापन का अधिकार

1. यदि प्रथमदृष्टया दस्तावेजों की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन किसी भी समय किसी भी खिलाड़ी के दस्तावेजों का सत्यापन, पुनः सत्यापन अथवा जांच कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवश्यक होने पर किसी भी सरकारी अभिलेख, विभाग अथवा सक्षम पदाधिकारी से सत्यापन कराया जा सकता है।
2. जांच लंबित रहने की अवधि में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आवश्यक होने पर संबंधित खिलाड़ी के पंजीकरण अथवा प्रतियोगिताओं में भागीदारी पर अंतरिम रोक लगाने का अधिकार होगा।
3. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आवश्यकतानुसार किसी भी दस्तावेज को फोरेंसिक, डिजिटल अथवा अन्य सक्षम सरकारी एजेंसी से सत्यापित कराने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
4. जांच के दौरान बिहार क्रिकेट एसोसिएशन संबंधित खिलाड़ी अथवा जिला क्रिकेट संघ से अतिरिक्त दस्तावेज, स्पष्टीकरण अथवा व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग कर सकेगा।

17. अपील

इस नियमावली के अंतर्गत पारित किसी आदेश के विरुद्ध संबंधित खिलाड़ी अथवा जिला क्रिकेट संघ, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान के अधीन सक्षम अपीलीय पदाधिकारी/लोकपाल के समक्ष तथा तत्पश्चात विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

Rajesh Kumar
Dist. Representative

GM/BCA

CEO/OPS

18. खिलाड़ियों के अभिलेखों की गोपनीयता

क. खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं व्यक्तिगत जानकारी केवल पंजीकरण, पात्रता परीक्षण, आयु सत्यापन एवं अन्य आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन आवश्यकता होने पर ऐसे अभिलेख BCCI, अधिकृत सत्यापन एजेंसी अथवा सक्षम सरकारी पदाधिकारी को उपलब्ध करा सकेगा।

ख. कोई भी खिलाड़ी अथवा जिला क्रिकेट संघ, बिना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की पूर्व अनुमति के किसी अन्य खिलाड़ी के व्यक्तिगत दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा किसी सक्षम न्यायालय अथवा विधिक पदाधिकारी द्वारा निर्देशित न हो।

19. इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डिजिटल हस्ताक्षर, QR आधारित दस्तावेज तथा ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैध अभिलेख मान सकेगा।

20. स्वतः निरस्तीकरण:

यदि किसी खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा निरस्त अथवा फर्जी घोषित किया जाता है, तो उसका पंजीकरण बिना किसी पृथक आदेश के समीक्षा हेतु रखा जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

21. व्याख्या एवं अवशिष्ट शक्तियाँ

क. BCCI द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, परिपत्र, ODMS SOP अथवा खिलाड़ियों की पात्रता संबंधी किसी भी संशोधित नीति का प्रभाव इस नियमावली पर स्वतः लागू होगा और जहाँ किसी प्रावधान में असंगति होगी, वहाँ BCCI के निर्देश प्रभावी होंगे। इस नियमावली की व्याख्या, किसी विवाद का निस्तारण अथवा ऐसी किसी परिस्थिति में जहाँ यह नियमावली मौन हो, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कमिटी ऑफ मैनेजमेंट का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं सभी जिला क्रिकेट संघों तथा खिलाड़ियों पर लागू होगा।

ख. ODMS पर खिलाड़ी का पंजीकरण अथवा BCCI द्वारा दी गई स्वीकृति, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को उपलब्ध अन्य तथ्यों अथवा शिकायतों के आधार पर पृथक जांच करने की शक्ति को सीमित नहीं करेगी।

Rajesh Kumar
Dist. Representative

GM/ACU

CRI. OPS

22. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा खिलाड़ियों की पात्रता के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में:

BCCI द्वारा किसी खिलाड़ी का पंजीकरण अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का निर्णय उसी के अनुरूप होगा।

23. नियमों में संशोधन

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कमिटी ऑफ मैनेजमेंट, समय-समय पर आवश्यकतानुसार इस नियमावली में संशोधन, परिवर्तन, विलोपन अथवा नए प्रावधान जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा ऐसे संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। इस नियमावली के लागू होने के साथ ही खिलाड़ी पंजीकरण, पात्रता अथवा अंतर-जिला स्थानांतरण से संबंधित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पूर्व में जारी सभी परिपत्र, निर्देश अथवा आदेश, जहाँ तक वे इस नियमावली से असंगत हैं, स्वतः निरस्त माने जाएंगे।

24. यह नियमावली बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की कमिटी ऑफ मैनेजमेंट द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात अधिसूचना की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

Rajesh Kumar
राजेश कुमार 09/6/26
चेयरमैन त्रि-सदस्यीय कमिटी

09/06/2026
अजित कुमार पांडेय
सदस्य त्रि-सदस्यीय कमिटी

09/06/2026
अजित कुमार चन्दन
सदस्य त्रि-सदस्यीय कमिटी